मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी:– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)
उनवान

1. भूरी पुत्री नारायण पत्नि छोटू जाति दरोगा निवासी श्रीराम कॉलोनी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—वादिया

बनाम

1. महावीर पुत्र नारायण जाति दरोगा
2. बल्लू पत्नि प्रहलाद जाति दरोगा
3. राजू पुत्र प्रहलाद जाति दरोगा
4. हेमराज पुत्र प्रहलाद जाति दरोगा
5. मोनू पुत्र प्रहलाद जाति दरोगा
6. लालाराम पुत्र प्रहलाद जाति दरोगा
7. शंकर [illegible] नारायण जाति दरोगा
   नि[illegible]ण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी
9. मैसर्स श्रीनाथ माईन्स एण्ड मिनरल्स केकड़ी जरिये पार्टनर्स
   9 (1) रामअवतार डोडिया पुत्र रामप्रताप डोडिया निवासी केकड़ी
   (2) बालकिशन साहू पुत्र गजानन्द साहू जाति तेली निवासी केकड़ी
   (3) बिरदीचन्द डोडिया पुत्र रामप्रताप डोडिया निवासी केकड़ी
   (4) निलेश कर्नावट पुत्र सुशील कर्नावट निवासी केकड़ी

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र:– <u>अंतर्गत धारा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89,188, 209, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम</u>
मुकदमा नम्बर:– राजस्व वाद 1858/2017 (2017/01487)
निर्णय दिनांक:– 19.04.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रूबरू श्री विकास पंचोली आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री नवलकिशोर पारीक वकील वादिया, श्री अब्दुल सलीम गौरी, वकील प्रतिवादीगण हाजिर मुददावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वादवर्णित आराजीयात वाके कस्बा केकडी की वर्तमान जमबंदी के खाता संख्या 1626 किता 12 कुल रकबा 5.36 हैक्ट में वादिया को 273/1072 हिस्से का, प्रतिवादीगण श्री महावीर पुत्र नारायण को 799/3216 हिस्से का, श्री शंकर पुत्र नारायण को 799/3216 हिस्से का, बल्लू पत्नि प्रहलाद, राजू पुत्र प्रहलाद, हेमराज पुत्र प्रहलाद, मोनू पुत्र प्रहलाद एवं लालाराम पुत्र प्रहलाद को प्रत्येक को 799/16080 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं खाता संख्या 1597 किता 3 कुल रकबा 1.50 हैक्टर में वादिया को 71/150 हिस्से का, प्रतिवादीगण श्री महावीर पुत्र नारायण को 79/450 हिस्से का, श्री शंकर पुत्र नारायण को 79/450 हिस्से का, बल्लू पत्नि प्रहलाद, राजू पुत्र प्रहलाद, हेमराज पुत्र प्रहलाद, मोनू पुत्र प्रहलाद एवं लालाराम पुत्र प्रहलाद को प्रत्येक को 79/2250 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे आदेशानुसार वादिया के हक हिस्से की आराजीयात में वादिया के कब्जे काश्त, स्वामित्व में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नही करें एवं ना ही आराजीयात को रहन, बैचान इत्यादि करें। तहसीलदार केकडी नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

वीज ....मुवलिक..बाबत..................................
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......................
...........................को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.04.2023 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

मुददई		रूपया	पैसा	मुदयलाह		रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	....	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	....	0	0
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील	....			महनताना वकील	....		
खर्चा गवाहान	....			खर्चा गवाहान	....		
फीस कमिश्नर	....			फीस कमिश्नर	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....			बाबत इजराय हुक्मनामा	....		
मुतफरिक	....	—	—	मुतफरिक	....	—	—
मीजान	....	0	0	मीजान	....	0	0

नोट:– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 1858/2017 (2017/01487)

1. भूरी पुत्री नारायण पत्नि छोटू जाति दरोगा निवासी श्रीराम कॉलोनी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—वादिया

बनाम

1. महावीर पुत्र नारायण जाति दरोगा
2. बल्लू पत्नि प्रहलाद जाति दरोगा
3. राजू पुत्र प्रहलाद जाति दरोगा
4. हेमराज पुत्र प्रहलाद जाति दरोगा
5. मोनू पुत्र प्रहलाद जाति दरोगा
6. लालाराम पुत्र प्रहलाद जाति दरोगा
7. शंकर पुत्र नारायण जाति दरोगा
   निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी
9. मैसर्स श्रीनाथ माईन्स एण्ड मिनरल्स केकड़ी जरिये पार्टनर्स
   9 (1) रामअवतार डोडिया पुत्र रामप्रताप डोडिया निवासी केकड़ी
   (2) बालकिशन साहू पुत्र गजानन्द साहू जाति तेली निवासी केकड़ी
   (3) बिरदीचन्द डोडिया पुत्र रामप्रताप डोडिया निवासी केकड़ी
   (4) निलेश कर्नावट पुत्र सुशील कर्नावट निवासी केकड़ी

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188, 209, 92एराज.काश्तकारी अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 19.04.2023

पत्रावली पेश हुई। वादिया की ओर से एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188, 209, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। वादिया द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर वादपत्र के बिन्दु संख्या 8 के आगे 8ए जोड़ा जाने का निवेदन किया जाकर संशोधित वादपत्र पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रस्तुतसंशोधित वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188, 209, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वावर्णित आराजीयात कस्बा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर मे स्थित है। आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है:—

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1314—1311	4813	0.08	बारानी 2
	4814	0.02	गै.मु.बाड़
	4817	0.66	चाही 2
	4818	0.15	चाही 2
	4819	0.37	चाही 2
	4820	2.61	बारानी 2
	4821	0.08	गै.मु.पाल
	4822	0.08	गै.मु.पाल
	4828	1.15	बारानी 2
	4829	0.02	गै.मु.पाल
	4946	0.15	गै.मु.पाल
	4947	0.20	गै.मु.पाल

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

	4948 4949 4950	0.26 2.43 0.04	गै.मु.पाल बारानी 2 गै.मु.पाल
	कुल किता 15	कुल रकबा 8.30 हैक्ट.	

उक्त वाद वर्णित आराजीयात वादिया की पुश्तैनी आराजीयात है जो वादिया के दादा श्री बालू पुत्र रोडा जाति दरोगा के नाम राजस्व रिकॉर्ड 1349 फसली में बतौर खातेदार के दर्ज है। तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त बालू पुत्र रोडा के एक मात्र विधिक वारिश नारायण के नाम बतौर खातेदारी में आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गयी। नारायण पुत्र बालू जाति दरोगा वादिया के पिता है तथा वादिया के पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व प्रहलाद व प्रतिवादी संख्या 7 उनके विधिक वारिसान है। प्रहलाद की मृत्यु हो चकी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 मृतक प्रहलाद के विधिक वारिसान है। वादिया के पिता की मृत्यु के उपरान्त वादिया अपने हिस्से के 1/4 हिस्से को काश्त कर उपज प्राप्त करती चली आ रही है प्रतिवादीगण का वादिया के 1/4 हिस्से में किसी प्रकार का हक अधिकार हिस्सा नही है। प्रतिवादीगण ने वादिया के पिता की मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामान्तकरण राजस्व से मिलीभगत कर एकमात्र नामान्तकरण स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया जबकि स्वर्गीय नारायण की जायन्दा पुत्री का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही किया ओर ना ही राजस्व अधिकारियों ने वास्तविक तथ्यों की जानकारी किये बिना नामान्तकरण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया जो दुरूस्त किया जाकर वादिया को उसकी पुस्तैनी आराजीयात का खातेदार काश्तकार के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का नाम दर्ज नही होने के कारण प्रतिवादीगण नाजायज व अनाधिकृत रूप से वादिया के हक हिस्से की आराजीयात से जबरन बेदखल करना चाहते है तथा आराजीयात को अन्य दीगर व्यक्ति को बैचान, हस्तांतरण, अन्तरण करने पर आमदा है। दिनांक 06.10.2017 को प्रतिवादीगण एकराय होकर आये एवं जबरन बेदखल करने की नियत से लडाई झगडा करने लगे और आराजीयात को अन्य दीगर व्यक्ति को बैचान करने की एलानियां धमकी देने लगे इसलिए यह वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। वादवर्णित आराजीयात वर्तमान खसरा नम्बर 4949 रकबा 2.43 हैक्ट बारानी प्रथम एवं खसरा नम्बर 4947 रकबा 0.02 हैक्ट गै.मु.पाल को प्रतिवादी संख्या 9 (1 लगायत 4) के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र पर खरीद किया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने प्रतिवादी संख्या 9 (1 लगायत 4) को वादग्रस्त आराजीयात को न्यायालय से स्थगन के उपरान्त भी बैचान किया जो कि आरम्भ से ही गलत अवैध कानूनन शून्य है जिससे कथित विक्रयपत्र को अवैध, शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे। अत वादवर्णित आराजीयात का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादिया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार अंकन किया जाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व 9 (1 लगायत 4) को आराजीयात को रहन बैचान बक्षीस इत्यादि नही करने व वादिया के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करने बाबत जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी श्रीनाथ माईन्स एण्ड मिनरल्स जरिये पार्टनर्स की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी को पेश कर वादवर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण का हित निहित होने से उन्हे प्रतिवादी पक्षकार संख्या 9 के रूप में संयोजित किया जाकर पैरवी एवं सुनवाई करने का अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया जिसे बाद अवलोकन एवं सुनवाई की जाकर स्वीकार गया। वादिया द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर वादपत्र के बिन्दु संख्या 8 के आगे 8ए जोडा जाने का निवेदन किया जाकर संसोधित वादपत्र पेश किया।

प्रतिवादीगण 1 लगायत7द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में वादपत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात कस्बा केकड़ी में होना स्वीकार किया एवं शेष पेरा जानकारी के अभाव में/जिस प्रकार से तहरीर किये गये है उन्हें अस्वीकार किया गया। प्रतिवादीगण ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को सिद्ध करने की जिम्मादारी स्वयं वादिया

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

को दी है। पेरा संख्या 11 व 12 कानूनी होने से जवाब की आवश्कता नही होना जाहिर किया। प्रतिवादीगण द्वारनिवेदन किया है कि वादवर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त एवं स्वामित्व चला आ रहा है तथा राजस्व रिकॉर्ड में श्री नारायण की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण का नाम बदस्तूर चला आ रहा है। वादवर्णित आराजीयात से वादिया का किसी प्रकार का ताल्लुक नही है ना ही वादिया नारायण की जायन्दा संतान है और ना ही स्वर्गवासी बालू वादिया के दादा है। वादिया ग्राम जाल का खेडा में निवास करती चली आ रही है तथा उसके हक आधिपत्य की आराजीयात जाल का खेडा में स्थित है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 नारायण के विधिक वारिसान है। आराजीयात का फौती नामान्तकरण विधि अनुरूप ही किया गया है। वादिया द्वारा मिली भगत जैसे निराधार आरोग लगाये है जो असत्य है एवं वदिया ठोस रूप से सिद्ध करें।राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 खातेदार काश्तकार अंकित है जिन्हे उक्त आराजीयात को अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान, हस्तांतरण, अंतरण करने का विधिक अधिकार है। शेष प्रार्थना अ व ब जो वादिया द्वारा की गई है वह ठोस रूप से अस्वीकार तथा खारिज होने योग्य बताया गया है।

प्रतिवादी संख्या 9 (1 लगायत 4) मैसर्स श्रीनाथ माईन्स एण्ड मिनरल्स केकड़ी जरिये पार्टनर्स की ओर जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा में वादपत्र के पैरा संख्या 1 रिकॉर्ड से संबंधित होना जाहिर किया एवं पेरा संख्या 2 लगायत 13 को गलत एवं अस्वीकार किया एवं निवेदन किया कि वादवर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 4949 रकबा 2.43 हैक्टर में से 1.34 हैक्टर दक्षिणी दिशा की ओर का एवं खसरा नम्बर 4947 रकबा 0.20 हैक्टर में से 0.10 हैक्टर दक्षिणी दिशा की ओर का प्रतिवादी संख्या 9 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 30.09.2020 के खरीदशुदा है। खरीदशुदा आराजी पूर्व में श्री नारायण पुत्र बालू दरोगा के नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रही थी। श्री नारायण के स्वर्गवास के पश्चात उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के नाम पर वर्णित आराजी का विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया गया। वादिया के नाम वर्णित आराजी का नामांतकरण आरम्भ से लेकर वर्तमान तक कहीं भी दर्ज नही है ना ही ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड अस्तित्व में है जिसमें वादिया स्व नारायण की पुत्री हो। प्रतिवादी संख्या 9 ने वर्णित आराजी को दिनांक 30.09.2020 को प्रचलित सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को अदा कर सद्भाविक रूप से आराजीयात को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है।

जवाब सरकार प्राप्त हुआ जिसके अनुसार वादपत्र के बिन्दु संख्या 01 में उल्लेखित कथन राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के अनुसार स्वीकार है। बिन्दु संख्या 02 से 05 में उल्लेखित कथन को सिद्ध करने की जिम्मेदारी वादिया को दी गई है एवं बिन्दु संख्या 06 से 13 में उल्लेखित कथन कानूनी होना बताया है।

पत्रावली में तनकी कायम की जाकरपत्रावली में गवाहों के साक्ष्य लिए गये एवं शपथपत्र प्रस्तुत किये जाकर जिरह कराई गई। साक्ष्य वादी के तहत गवाह pw-1 श्रीमति भूरी, pw-2 श्री मोतीलाल, pw-3 श्री रामधन एवं pw-4 श्री प्रेमचन्द के शपथ पत्र पेश कर बयान कराये गये। साक्ष्य प्रतिवादी के तहत गवाह dw-1 श्री लालाराम, dw-2 श्री कैलाश, dw-3 श्री नन्दलाल, dw-4 श्री महावीर पुत्र धन्नालाल, dw-5 श्री शंकर के शपथपत्र पेश कर बयान कराये गये। गवाह dw-6 श्री महावीर पुत्र नारायण जो स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 है के शपथपत्र पेश किये गये परन्तु जिरह हेतु उपस्थित नही होने पर रिकॉर्ड पर नही लिया गया। वादिया के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। पक्षकारान के अधिवक्ताओं की तनकीवार बहस सुनी जाकर निम्नानुसार तनकीयात सिद्ध की गई--

तनकी नम्बर 1 — आया वाद वर्णित आराजीयात वादिया की पुश्तैनी आराजीयात है तथा वादिया का वाद वर्णित आराजीयात में जन्म से अधिकार निहित होने से वादिया को वादग्रस्त आराजीयात के 1/4 हिस्से में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर है। इस तनकी को सिद्ध करने हेतु वादिया के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में बताया गया है कि खतोनी जमाबन्दी 1349 (प्रदर्श 1 लगायत 4) जो कि वादिया भूरी के दादा बालू पुत्र रोडा के नाम बतौर खातेदार दर्ज थी। उक्त वादग्रस्त आराजीयात बालू

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

की मृत्यु उपरान्त नारायण पुत्र वालू के नाम दर्ज हो गई जो कि जमावन्दी प्रदर्श 5 लगायत 7 है। वालू से नारायण के नाम जमाबंदी में अंकन होने वावत प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन नही किया गया है अर्थात यह स्वीकृत है साथ ही वादिया के अधिवक्ता द्वारा प्रदर्श 8 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 9 लगायत 13 जमावंदी एवं प्रदर्श 14 वारिस प्रमाण पत्र (नगरपालिका केकड़ी) की ओर ध्यान आकर्षित किया।लिखित बहस में बालू पुत्र रोडा का पुश्तैनी सजरा प्रदर्शित किया गया जिसमें बालू के वारिस में नारायण पुत्र बालू, नारायण के वारिस में महावीर, भूरी, शंकर, प्रहलाद (फौत) पिता नारायण एवं प्रहलाद (फौत) के वारिस में वल्लू पत्नि, राजू पुत्र, हेमराज पुत्र, मोनू पुत्र एवं लालाराम पुत्र को दर्शाया गया है। वादिया भूरी pw-1 ने मुख्य परीक्षा हेतु शपथपत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 14 प्रदर्शित करवाये हैं। भूरी नारायण की पुत्री नही है के संबंध में प्रतिपरीक्षा अथवा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा प्रतिवादीगण ने सावित नही किया है। वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति न होकर स्वअर्जित हो के संबंध में भी प्रतिवादीगण द्वारा सावित नही किया गया है एवं ना ही ऐसी साक्ष्य प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है। राजस्व अभिलेखों से पैतृक सम्पत्ति सावित है। सहदायिक सम्पत्ति में स्वतः ही कब्जा सभी सदस्यों का माना जाता है। पैतृक सम्पत्ति में पुत्रियां भी पुत्र के समान जन्म से हकदार है और उनको धारा 6 हिन्दु प्रदत्त समानता के अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है।गवाह pw-3 श्री रामधन जाट द्वारा मुख्य परीक्षा में नारायण सिंह के वारिसान के वारे में कथित किया एवं भूरी को नारायण सिंह की पुत्री वताया है। प्रतिपरीक्षा में भूरी के नारायण सिंह की पुत्री नही होने वावत कोई प्रश्न नही किया गया है मात्र भूरी के ससुराल के वारे में पूछा गया है अर्थात प्रतिपरिक्षा में कथन का खण्डन नही किया गया है। गवाह pw-4 श्री प्रेमचन्द ने भी मुख्य परीक्षा में भूरी वादिया के नारायण की पुत्री होने वावत कथन किया है जिसका प्रतिपरीक्षा में खण्डन नही हुआ है। वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 14 जो कि नगरपालिका केकड़ी द्वारा दिया गया पारिवारिक सजरा प्रमाण पत्र है। उक्त पारिवारिक सजरा में भूरी को नारायण की पुत्री वताया गया है। उक्त पारिवारिक सजरा मिथ्या दस्तावेज हो इस बावत प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा सावित नही किया गया है। पारिवारिक सजरा पर गौर फरमाया जाये तो सजरा प्रमाण पत्र में दो गवाहान – मोतीलाल एवं रामधन जाट के हस्ताक्षर है जिनमें से वादिया की ओर से मोतीलाल को गवाह pw-2 के रूप में परिक्षित करवाया गया है जिसने प्रदर्श 14 पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर होना वताया जिसका प्रतिपरिक्षा में खण्डन नही हुआ है। प्रदर्श 14 अध्यक्ष नगरपलिका द्वारा जो पारिवारिक सजरा प्रमाण पत्र दिया गया है वह वार्ड पार्षद ज्ञान प्रकाश राठी (वार्ड संख्या 26) की अभिशंषा, मृत्यु प्रमाण पत्र, गवाहान शपथ पत्र व अखवार में आपत्ति सूचना के उपरान्त जारी किया गया है जो दस्तावेज का विवाद रहित होना प्रमाणित करता है। इस प्रकार वादिया द्वारा पूर्णतया सावित किया गया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति पुश्तैनी है एवं वादिया नारायण की पुत्री होने के कारण वादग्रस्त सम्पत्ति के 1/4 हिस्से में अधिकारी होने से उसे वादग्रस्त आराजीयात में 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

इस तनकी को अपने पक्ष में सावित करने के लिए प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि दावे के तथ्यों में सजरा का पेरा नही है, दावा सन् 2017 में पेश किया गया और सजरा सन् 2018 में वनया गया है, पहले कहीं रिकॉर्ड पर नही है। सजरे पर अधिशाषी अधिकारी के हस्ताक्षर नही है वल्कि अध्यक्ष नगरपालिका के हस्ताक्षर है। वादवर्णित आराजीयात प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है। वादवर्णित आराजीयात पर किसी भी गवाह ने वादिया को काश्त करते नही देखा है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की ओर से गवाह dw-1 श्री लालाराम पुत्र भूरालाल, dw-2 श्री कैलाश पुत्र नारायण, dw-3 श्री नन्दलाल पुत्र छोटूलाल, dw-4 श्री महावीर पुत्र धन्नालाल, dw-5 श्री शंकर पुत्र नारायण के शपथ पत्र पेश किये जाकर वयान कराये गये। अतः वादवर्णित आराजीयात प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 की पुश्तैनी आराजीयात है जिस पर वादिया का कोई हक अधिकार नही है।

उपरोक्त गवाहों, दस्तावेजात एवं वहस पर मनन किये जाने पर स्पष्ट होता है कि वादवर्णित आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात है ना कि खरीदशुदा। पुश्तैनी आराजीयात में सभी वारिसान का वरावर का हक अधिकार होता है। भूरी मृतक नारायण की पुत्री नही है के को प्रतिवादीगण किसी भी दस्तावेजी

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

साक्ष्य से साबित करने में पूर्णतया असमर्थ रहे है जबकि वादिया की ओर से अध्यक्ष नगरपालिका द्वारा जारी पारिवारिक सजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। सजरे के अवलोकन से पता चलता है कि सजरा पूर्ण प्रक्रिया अनुसार ही बनाया गया है जिसमें दो गवाहोंएवं वार्ड पार्षद द्वारा पुष्टि किये जाने के बाद अखबार की आपत्ति सूचना के आधार पर अध्यक्ष नगरपालिका द्वारा प्रमाणित कर जारी किया गया है जिस पर कार्यालय क्रमांक एवं जारी करने की दिनांक अंकित है एवं जिसमें वादिया को मृतक नारायण की पुत्री अंकित किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा सजरे को गलत साबित करने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नही कियें है। अतः यह तनकी वादिया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2 – आया वाद वर्णित आराजीयात वादिया की पुश्तैनी आराजीयात है तथा वादिया का वाद वर्णित आराजीयात में जन्म से अधिकार निहित होने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एवं प्रतिवादी संख्या 9 (1 लगायत 4) को वादिया के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने बाबत जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर है। इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने के लिए वादिया के अधिवक्ता ने तनकी नम्बर 1 में दिये गये तर्कों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया कि वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श दस्तावेजात, गवाहों के शपथ पत्र, पारिवारिक सजरा से सिद्ध होता है कि वादिया नारायण की पुत्री है एवं वादवर्णित आराजीयात मृतक नारायण के वारिसान की पुश्तैनी आराजीयात है, ना कि प्रतिवादीगण की खरीदशुदा आराजी है। पुश्तैनी आराजीयात में सभी वारिसान का जन्म से अधिकार निहित होता है। ऐसी स्थिति में वादवर्णित आराजीयात में वादवर्णित आराजीयात में वादिया के हिस्से पर प्रतिवादीगण को बाधा उत्पन्न करने का कोई हक अधिकार नही है, और यदि वो ऐसा करते है तो वादिया अपने हिस्से पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हक अधिकार रखती है।

इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने के लिए प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा तनकी नम्बर 1 में दिये गये तर्को एवं गवाह dw-1 से dw-5 द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र एवं जिरह की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया एवं साथ ही पत्रावली में प्रस्तुत पारिवारिक सजरा प्रमाण पत्र पर अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका के हस्ताक्षर नही होकर अध्यक्ष नगरपालिका के हस्ताक्षर होने का तर्क दिया गया साथ ही तर्क दिया गया कि वादवर्णित आराजीयात पर वादिया का कोई कब्जा काश्त नही रहा है और ना ही किसी भी गवाह ने वादिया को आराजीयात में काश्त करते नही देखा है अतः वादिया मृतक नारायण की पुत्री नही होने एवं आराजीयात पर कभी भी वादिया का कब्जा काश्त नही होने से वादिया प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हक अधिकार नही रखती है।

इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने हेतु पक्षकारान के अधिवक्ताओं द्वारा दिये गये तर्को का मनन किया गया। वादवर्णित आराजीयात वादिया की पुश्तैनी आराजीयात है जो कि तनकी नम्बर 1 में सिद्ध किया जा चुका है। पत्रावली में प्रस्तुत पारिवारिक सजरा प्रमाण पत्र को भी प्रतिवादीगण किसी दस्तावेजी साक्ष्य से गलत साबित करने में असमर्थ रहे है। अतः पुश्तैनी आराजीयात में वादिया के हक हिस्से पर प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का कोई हक अधिकार नही है।इस तनकी को वादिया ने पूर्णतः अपने पक्ष में साबित किया है जबकि प्रतिवादीगण इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने में असमर्थ रहे है। अतः यह तनकी वादिया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3 – आया वादपत्र के पैरा संख्या 2 के अनुसार वादवर्णित आराजीयात पुश्तैनी नही होकर वादिया नारायण की जायन्दा सन्तान नही होने से वादिया का वादवर्णित आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार दखल नही है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने तनकी नम्बर 1 व तनकी नम्बर 2 में दिये गये तर्क एवं गवाहों के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों एवं बयानों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर तर्क दिया कि वादिया नारायण की जायन्दा सन्तान नही है एवं

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

वादवर्णित आराजीयात वादिया की पुश्तैनी आराजीयात नही है जिसके संबंध में गवाहों dw-1 से dw-5 के बयान करवाये गये है। अतः वादवर्णित आराजीयात पर वादिया का कोई हक हिस्सा नही बनता है।

इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने के लिए वादिया के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया कि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि वादिया नारायण की पुत्री नही हो जबकि वादिया द्वारा सजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। एवं दिनांक 28.12.1984 को जारी पट्टा विलेख की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रतिवादी महावीर के साथ वादिया भूरी बेवा छोटू पुत्र/पुत्री नारायण दरोगा का अंकन किया हुआ है जिससे भी सिद्ध होता है कि वादिया नारायण की जायन्दा सन्तान है एवं वादवर्णित आराजीयात वादिया की भी पुश्तैनी आराजीयात है।

उपरोक्त बहस पर गोर किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि वादिया नारायण की संतान नही हो। जबकि वादिया द्वारा इस संबंध में दस्तावेज सजरा प्रमाण पत्र एवं पट्टा विलेख प्रस्तुत कर स्वयं को नारायण की संतान होना सिद्ध किया है। अतः यह तनकी वादिया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है। **तनकी नम्बर 4–** आया प्रतिवादी संख्या 9 (1 लगायत 4) द्वारा वाद वर्णित आराजीयात के खसरा नम्बर 4949 रकबा 2.43 हैक्ट में से 1.34 हैक्ट एवं खसरा नम्बर 4947 रकबा 0.20 हैक्ट में से 0.10 हैक्ट को सदभाविक रूप से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 9 पर है। दौराने बहस प्रतिवादी 9 (1 लगायत 4) के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वादवर्णित आराजीयात में से खसरा नम्बर 4949 रकबा 2.43 हैक्टर में से 1.34 हैक्टर दक्षिणी दिशा की ओर का एवं खसरा नम्बर 4947 रकबा रकबा 0.20 हैक्टर में से 0.10 हैक्टर दक्षिणी दिशा की ओर का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 30.09.2020 के खरीदशुदा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने वर्णित उक्त आराजीयात को विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय कर आराजी का भौतिक कब्जा स्वयं का हटाकर प्रतिवादी संख्या 9 को दिया गया। वर्तमान में वर्णित आराजी प्रतिवादी संख्या 9 के पूर्ण कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही है। प्रतिवादी 9 के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपने तर्क के समर्थन में उपरोक्त वर्णित विक्रयपत्र दिनांक 30.09.2020 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें खसरा नम्बर 4949 में से 1.34 हैक्ट एवं 4947 में से 0.10 हैक्ट का प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 (1 लगायत 4) के पक्ष में उपपंजीयक केकड़ी द्वारा विक्रयपत्र पंजीबद्ध कराया गया है। नकल जमाबन्दी संवत 2069–2072, नक्शा की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई है जिसमें जरिये बैचान का नामान्तकरण स्वीकृति का नोट एवं नक्शे मे सीमाएं अंकित की गई है। उक्त कथित विक्रयपत्र को गलत साबित करने हेतु वादिया द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है।

वादिया के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया है कि वादवर्णित आराजीयात वर्तमान खसरा नम्बर 4949 रकबा 2.43 हैक्ट बारानी प्रथम एवं खसरा नम्बर 4947 रकबा 0.02 हैक्ट गै.मु.पाल को प्रतिवादी संख्या 9 (1 लगायत 4) के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र पर खरीद किया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने प्रतिवादी संख्या 9 (1 लगायत 4) को वादग्रस्त आराजीयात को न्यायालय से स्थगन के उपरान्त भी बैचान किया जो कि आरम्भ से ही गलत अवैध कानून शून्य है जिससे कथित विक्रयपत्र को अवैध, शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे।

कथित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को अवैध साबित करने के संबंध में वादिया द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये है। वादवर्णित आराजीयात में वादिया का नाम दर्ज नही होने से आराजीयात के हिस्से को प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 द्वारा बैचान कर दिये जाने पर भी आराजीयात में वादिया के हिस्से पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ता है। चूंकी प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा वर्णित आराजीयात की प्रतिफल राशि अदा कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है जिससे उन्हे उनके हिस्से से वंचित नही किया जा सकता है। अतः यह तनकी प्रतिवादी संख्या 9 (1 लगायत 4) के पक्ष में एवं वादिया के विरूद्ध तय की जाती है।

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्नानुसार न्यायायिक दृष्टान्त पेश किये गये –

1. 2014(2) RRT 965 - Shyam Vs Jagwanti & Ors.
2. 2022(2) DNJ (Rev) 978 Angrej Singh & Ors. Vs Birbaram & Ors
3. 2022(2) DNJ (Rev.) 1214 Ganga (Deceased) Thro'LR's. & Ors. Vs Devisingh & Ors.
4. 2022(2) DNJ(Rev) 1214 Devisingh & Ors
5. 2020(3) DNJ (SC) 817 Vineeta Sharma Vs Rakesh Sharma & Ors.

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से स्पष्ट होता है कि भूरी नारायण की जायन्दा सन्तान है एवं वादवर्णित आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात है जिस पर धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वादिया का भी समानता का अधिकार है। पत्रावली के अवलोकन, उपरोक्त तनकीवार विवेचन अनुसार केकड़ी के जमाबन्दी संवत 2061–64 के खाता संख्या 1314–1311 कुल किता 15 कुल रकबा 8.30 में वादिया का 1/4 हिस्सा बनता है जो कि रकबा 2.075 हैक्ट जितना है। अब चूंकि प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 द्वारा उक्त आराजीयात में से खसरा नम्बर 4947 में से 1.34 हैक्ट एवं खसरा नम्बर 4949 में 0.10 हैक्ट कुल 1.44 का बैचान कर दिया गया है जिसका प्रभाव वादिया के हिस्से पर नही पड़ता है। बैचान होने के पश्चात शेष वर्तमान खाता संख्या 1626 किता 12 रकबा 5.36 व खाता संख्या 1597 किता 3 रकबा 1.50 कुल रकबा 6.86 हैक्ट में से वादिया का रकबा 2.075 हैक्ट जितना बनता है। अतः वादवर्णित आराजीयात के वर्तमान खाता संख्या 1626 किता 12 कुल रकबा 5.36 में 273/1072 हिस्सा एवं खाता संख्या 1597 किता 3 कुल रकबा 1.50 में 71/150 हिस्से पर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायालय उचित समझता है। शेष आराजी प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 के हिस्से में रहेगी एवं वर्तमान खाता संख्या नया पुराना 3147–1597 किता 2 कुल रकबा 1.44 हैक्ट जो कि प्रतिवादीगण संख्या 9 [(1) लगायत (4)] के नाम जरिये बैचान से दर्ज हुआ है वह प्रतिवादीगण संख्या 9 [(1) लगायत (4)] के नाम यथावत रहेगा।

आदेश

पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात को अवलोकन किया गया। तनकीवार पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादिया के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। अतः वादवर्णित आराजीयात वाके कस्बा केकड़ी की वर्तमान जमबंदी के खाता संख्या 1626 किता 12 कुल रकबा 5.36 हैक्ट में वादिया को 273/1072 हिस्से का, प्रतिवादीगण श्री महावीर पुत्र नारायण को 799/3216 हिस्से का, बल्लू पत्नि प्रहलाद, राजू पुत्र प्रहलाद, हेमराज पुत्र प्रहलाद, गोनू पुत्र प्रहलाद एवं लालाराम पुत्र प्रहलाद को प्रत्येक को 799/16080 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं खाता संख्या 1597 किता 3 कुल रकबा 1.50 हैक्टर में वादिया को 71/150 हिस्से का, प्रतिवादीगण श्री महावीर पुत्र नारायण को 79/450 हिस्से का, श्री शंकर पुत्र नारायण को 79/450 हिस्से का, बल्लू पत्नि प्रहलाद, राजू पुत्र प्रहलाद, हेमराज पुत्र प्रहलाद, गोनू पुत्र प्रहलाद एवं लालाराम पुत्र प्रहलाद को प्रत्येक को 79/2250 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे आदेशानुसार वादिया के हक हिस्से की आराजीयात में वादिया के कब्जे काश्त, स्वामित्व में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नही करें एवं ना ही आराजीयात को रहन, बैचान इत्यादि करें। तहसीलदार केकड़ी नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें। निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(निकारा पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी

Scanned with OKEN Scanner